संख्या-87/2015/2900/26-3-2015-4(358)/07टी.सी।।।

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2015

विषयः- शैक्षिक सत्र-2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 व 12 तथा ग्रुप-1,2,3 व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-879/26-3-2015-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-25.03.2015 एवं शासनादेश संख्या-1137/26-3-2015-4(358)/07टी.सी.।।।,दिनांक-23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-80/2015/2515/26-3-2015-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-04.08;2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिये समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2030/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-25.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यकविचारोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 व 12 तथा ग्रुप-1,2,3 व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र0 सं0	**प्रक्रियात्मक कार्यवाही**	**कक्षा-11 व 12 के छात्रों हेतु संशोधित तिथि**	**समूह-1,2,3 व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) के छात्रों हेतु संशोधित तिथि**
1	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना	15 अप्रैल से 31 जुलाई, 2015 तक	01 जुलाई से 30 सितम्बर 2015 तक
2	आनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	01 अगस्त से 10 अगस्त, 2015 तक	01 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2015 तक
3	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 अगस्त, 2015 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 अक्टूबर, 2015 तक
4	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	15 अप्रैल से 22 अगस्त, 2015 तक	01 जुलाई से 24 अक्टूबर, 2015 तक
5	शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एवं वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना	15 अप्रैल से 25 अगस्त, 2015 तक	01 जुलाई से 25 अक्टूबर, 2015 तक
6	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना	26 अगस्त से 15 सितम्बर, 2015 तक	26 अक्टूबर से 15 नवम्बर, 2015 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	25 सितम्बर, 2015 तक	25 नवम्बर, 2015 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं शुद्ध डाटा के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	01 अक्टूबर, 2015 तक	10 दिसम्बर, 2015 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	07 अक्टूबर, 2015 तक	15 दिसम्बर, 2015 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0सं0 87/2015/2900(1)/26-3-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश की प्रति प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराने का कष्ट करें।
7- गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।